21/9/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित वकील उभयपक्ष को बहस को सुना गया वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी भैरालाल एवं इनके अधिवक्ता ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान ~~[illegible]~~ काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौजा बिलौरा पटवार मण्डल बिलौरा के खाता संख्या 323 में वर्णित आराजी नम्बर 2323/1031 रकबा 0.0630 है० अभिलिखित

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्री भूरालाल पिता किशोर ब्राह्मण सा॰ देह मु॰ बि॰ क॰ वरदा पिता खेमा ब्राह्मण सा॰ देह खातेदार दर्ज है का हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की अनुमति चाही गई इस पर वाद पत्र को बाद जाँच दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या -1 का सम्मन नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ किन्तु औपचारिक पक्षकार होने से भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी सं॰ 2 वरदा के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी ने उसके कायम मुकाम हेतु प्रतिवादी सं॰ 2 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ पेश किया गया जिसको स्वीकार कर संशोधित टाईटल पेश किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या -2 के विधिक वारिसान के सम्मन नोटिस तामील हेतु पेश होने पर जारी किया गया। प्रतिवादी सं॰ 2 के विधिक वारिसान 2/2, 2/4, 2/5, व 2/6 का इकबालिया सहमति का जवाबदावा पेश हुआ, जवाबदावा के अनुसार प्रतिवादी सं॰ 2 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादी की खातेदारी घोषित की जाने में इनके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं॰ 2 के वारिसान प्रतिवादी सं॰ 2/1, व 2/3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं आए न ही इनकी ओर से किसी ने उपस्थिति दी अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। वाद पत्र प्रतिवादीगण का सहमति का जवाब पेश होने से विवाद्यक के बिन्दु कायम नहीं किये गए पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में वादी भूरालाल का शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी॰पी॰सी॰ का पेश हुआ। वाद पत्र में प्रस्तुत हुए [illegible] गये। वादी अब और कोई साक्ष्य पेश [illegible] चाहते है। इस पर पत्रावली को बहस में नियत कर [illegible] वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी ने [illegible] वाद पत्र [illegible] वादग्रस्त आराजी नम्बर 2323/1036 रकबा 0.0630 हैक्टेयर भूमि पर मु॰ वि॰ क॰ वरदा पिता खेमा के नाम पर अंकन गलत कई वर्षों से गलत चला आ रहा है। अतः गलत अंकन से वादी के हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं वादग्रस्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III

अविनेश प्रिंटर्स, डूंगला- 9413403537

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम डूंगला

भूरालाल बनाम वरदा

किस्म मुकदमा वादपत्र नं. 56/2020 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण आदि नहीं ले पा रहा है राजस्व रेकार्ड में दर्ज मु. बिं.क. का नाम नोट हटाने का कथन किया गया है। वकील प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित ग्राम बिलोदा की आराजी नम्बर 2323/1031 रकबा 0.0630 हे भूमि में दर्ज भूरा लाल पिता किशोर ब्राह्मण सा. देह के साथ दर्ज मु. बि.क. वरदा पिता खेमा ब्राह्मण सा. देह खातेदार का दर्ज नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादी की खातेदारी घोषित की जावे बहस में दोहराया गया है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का राजस्व रेकार्ड का अवलोकन परीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम बिलोदा की नकल जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में वर्णित खाता सं. 307 में वादी के पिता किशोर पिता मंगनीराम ब्राह्मण सा. देह दर्ज रेकार्ड होकर आ.न. 1031 पर मुर्तहीन बिल्क कब्ज श्री वरदा पिता खेमा ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी, वादी के पिता किशोर की मृत्यु होने से उक्त वादग्रस्त आराजी विरासत से भूरा, दुर्गा, शंकर, चोखर, श्यामलाल पिता किशोर के नाम दर्ज हुई है। तथा वर्तमान खाता सं. 323 आराजी नम्बर 2323/1031 रकबा 0.0630 है जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में भी उपरोक्तानुसार स्थिति राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अर्थात सम्वत 2015 से वर्तमान चालू सम्वत 2078 तक गत 73 वर्षों से राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में मुर्तहीन वरदा पिता खेमा ब्राह्मण सा. देह बिना किसी अन्तरण के नाम दर्ज चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 में स्पष्ट प्रावधान है कि परिसीमित किया गया है कि बिना ... धारा के अन्तरण सम्पादित किये कोई खातेदार काश्तकार अपनी सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र या उसके भाग में से अपने हित का भाग बन्धक के रूप में किसी व्यक्ति को अन्तरण कर सकेगा परन्तु ऐसे बन्धक में यह उपबन्ध होगा कि बन्धक राशि उक्त सम्पत्ति का भोग (Usufructs) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के भीतर हो पांच वर्ष से अधिक नहीं संदत्त कर दी गई समझी जायेगी और ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट न होने की दशा में उक्त बन्धक पांच वर्ष से अधिक न हो संदत्त कर दी गई समझी जायेगी और ऐसी अवधि विनिर्दिष्ट न होने की दशा में उक्त बन्धक पांच वर्ष के लिए ही होना समझा जायेगा। उपरोक्त प्रकरण में खातेदार द्वारा अन्य को रहन (बन्धक) रखी गई भूमि का राजस्व रेकार्ड में मुरहीन बिल्क कब्जा गत 73 वर्षों से दर्ज चली आ रही है, जबकि उक्त वर्णित प्रावधानों के तहत बन्धक पत्र के रहन की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं माने जाने से उक्त भूमि से ऋणभार समाप्त हो जाता है। अतः वादी का वादपत्र श्री भूरालाल पिता किशोर ब्राह्मण सा० बिलौदा तहसील डूंगरा हाल निवासी जनाई तहसील बड़ीसादड़ी का स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बिलौदा की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 323 में वर्णित आराजी नम्बर 2323/1031 रकबा 0.0630 है० भूमि में मूल खातेदार के अतिरिक्त दर्ज प्रविष्टि मुरहीन बिल्क कब्जा श्री वरदा पिता खेमा ब्राह्मण सा० रेह खातेदार आ० नम्बर 2323/1031 की प्रविष्टि को राजस्व रेकार्ड से जमाबन्दी में से विलोपित करने हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्‌नुसार तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.12.27 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested